न्यायालय उपखण्डअधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 04/2024 तारीख रजू:–14.5.2024

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2024/33

पीठासीनअधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. रामकेश बैरागी पुत्र सीताराम जाति बैरागी निवासी बिनजारी चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर (राज)

–प्रार्थी

बनाम

1. सुरेश पुत्र सीताराम जाति बैरागी निवासी बिन्जारी, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, चौथ का बरवाडा।

–अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी ★ सत्यमेव जयते ★ चौथ का बरवाड़ा

<u>उपस्थित::–</u>

वकील प्रार्थी :–श्री दिनेश पारीक एडवोकेट

वकीलअप्रार्थी सं.1 :–स्वयं अप्रार्थी संख्या 1

वकील अप्रार्थी संख्या 2 :– पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक:–16.05.2025

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट</u>

1. प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि–

- प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 ग्राम बिन्जारी के निवासी है आपस में भाई हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 ग्राम ऐकडा पटवार हल्का आदलवाडा कलॉ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 मे दर्ज खाता संख्या 286 मे दर्ज खसरा नम्बर 156 रकब 0.6100 है0 किस्म बारानी 1, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.4400 है0 किस्म बारानी कुल 02 किता कुल रकबा 1.44 है0 का प्रार्थी व अप्रार्थी उक्त भूमि 1/2 हिस्से के सहखातेदार है।

- ग्राम ऐकडा पटवार हल्का आदलवाडा कलॉ में हाल [illegible] 286 में प्रार्थी के पिता के देहान्त हो जाने के बाद विरासत नामान्तरण प्रार्थी का नाम रामकेश के बजाय हरकेश दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी का असल नाम रामकेश है इसी प्रकार पूर्व में ग्राम ऐकड़ा के अन्य खाते में प्रार्थी का नाम रामकेश दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.27 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested

- श्रीमान के आदेश क्रमांक/2019/1557 दिनांक 26.03.2019 की पालना में तहसीलदार, चौथ का बरवाडा आदेश क्रमाक LR/584 दिनांक 08.04.2019 की द्वारा हरकेश पुत्र सीताराम के स्थान पर रामकेश पुत्र सीताराम दर्ज कर दुरस्त

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

किया था, लेकिन सहवन ग्राम ऐकडा पटवार हल्का आदलवाडा कलां की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 मे दर्ज खाता संख्या 286 मे दर्ज खसरा नम्बर 156 रकबा 0.6100 है०किस्म बारानी 1 दर्ज खसरा नम्बर 157 रकबा 0.4400 है०किस्म बारानी कुल 02 किता कुल रकबा 1.44 है0 में हरकेश पुत्र सीताराम जाति बैरागी ही दर्ज रह गया है जो दुरस्त करवाना न्यायहित आवश्यक है।

❖ प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम हरकेश पुत्र सीताराम की बजाय रामकेश पुत्र सीताराम दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी नम्बर 2 को प्रदान करे कि प्रार्थी के काश्त अराजीयात ग्राम ऐकडा पटवार हल्का आदलवाडा कला तहसील चौथ का बरवाडा की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 दर्ज खाता संख्या 286 मे दर्ज खसरा नम्बर 156 रकबा 0.61 है0 खसरा नम्बर 157 रकबा 0.44 है0 किस्म बारानी कुल किता 2 कुल रकबा 1.05 है0 मे प्रार्थी का नाम दुरस्त फरमाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये गये।

3. अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया है कि–

- मेरे भाई का नाम रामकेश है। हरकेश पुत्र सीताराम बैरागी नाम का ना तो मेरा कोई भाई है, ना ही इस नाम का गांव में अन्य व्यक्ति है। यदि नाम को लेकर भविष्य में कोई विवाद होता होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी है।

4. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने उनवानी प्रकरण में अपने पत्रांक भू0अ0/2024/31 दिनांक 10.01.2025 द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई है, जो निम्नानुसार है–

❖ यह है कि प्रार्थी एवं अप्राथी आपस में भाई है।

❖ मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 156/0.61, 157/0.44 कुल किता 2 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम ऐकडा श्रीमती मांगीदेवी पत्नि रामरतन हिस्सा 1/2 जाति मीना, सुरेश पुत्र सीताराम हि. 1/4, हरकेश पुत्र सीताराम हि. 1/4 जाति बैरागी दर्ज है।

❖ विरासत में हरकेश पुत्र सीताराम जाति बैरागी दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम रामकेश पुत्र सीताराम बैरागी है।

❖ लोक अदालत कैम्प बिन्जारी दिनांक 18.05.2018 ग्राम ऐकडा की खातेदारी भूमि संवत् 2070–73 के खाता संख्या 201 एवं 202 में हरकेश पुत्र सीताराम कोम बैरागी को शुद्ध करते हुए रामकेश पुत्र सीताराम जाति बैरागी किया गया परन्तु प्रार्थी का नाम ग्राम ऐकडा में खाता संख्या 286 में से छूट गया ।अतः हरकेश पुत्र सीताराम का सही नाम रामकेश पुत्र सीताराम जाति बैरागी है। अतः ग्राम ऐकडा के खाता संख्या 286 में हरकेश पुत्र सीताराम के बजाय रामकेश पुत्र सीताराम जाति बैरागी शुद्ध किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.27 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested

5. बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

6. मैने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. स्थायी जमाबंदी दिनांक 03.04.2024 ग्राम ऐकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा में के खाता संख्या 286 में प्रार्थी का नाम हरकेश पुत्र सीताराम दर्ज है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड एवं जन–आधार कार्ड से प्रार्थी का नाम रामकेश पुत्र सीताराम बैरागी होने की पुष्टि होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थायी जमाबंदी दिनांक 03.04.2024 खाता संख्या 212 से भी प्रार्थी का सही नाम रामकेश होने की पुष्टि होती है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट में भी उपरोक्त शुद्धी करने की अभिशंषा की गई है। अप्रार्थी संख्या 1, जो कि प्रार्थी का भाई है, के द्वारा भी उपरोक्त शुद्धि की सहमति दी गई है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का नाम हरकेश पुत्र सीताराम के स्थान पर रामकेश पुत्र सीताराम बैरागी शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे स्थायी जमाबंदी दिनांक 03.04.2024 में के खाता संख्या 286 के खसरा नंबर 156 रकबा 0.61 है0 एवं खसरा नंबर 157 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम ऐकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा में प्रार्थी का नाम हरकेश पुत्र सीताराम के स्थान पर रामकेश पुत्र सीताराम दर्ज करें। निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.27 11:48:32 IST
Reason: SelfAttested